

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की याचिका, सिखों पर बयान मामले की सुनवाई अब वाराणसी कोर्ट में होगी

Publisher

Published on 26 Sep 2025



लोकसभा में नेता विपक्ष **राहुल गांधी** के बयान को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब मामला **वाराणसी कोर्ट** में सुनवाई के लिए भेज दिया गया है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने संसद में कुछ ऐसे बयान दिए थे, जिन पर कुछ सिख समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद विभिन्न अदालतों में याचिकाएं दायर की गईं और मामला लंबित रहा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले की न्यायिक सुनवाई **वाराणसी कोर्ट में होना उचित है**, क्योंकि कथित घटना और बयान का दायरा वहीं का है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने का मतलब यह नहीं कि मामले की गंभीरता कम है। यह केवल यह संकेत देता है कि **संबंधित न्यायालय में ही केस की सुनवाई होना चाहिए**।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानूनी विवाद में उचित क्षेत्राधिकार का पालन आवश्यक है। हाई कोर्ट ने इस दिशा में स्पष्ट आदेश देते हुए मामला **वाराणसी कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया**।

सिख समुदाय पर बयान का विवाद

राहुल गांधी के बयान को लेकर सिख समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि बयान समुदाय की भावनाओं को आहत करता है और सामाजिक सौहार्द पर असर डाल सकता है।

इस मामले में शिकायत के आधार पर विभिन्न याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें से एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गई। याचिका में राहुल गांधी से इस बयान के लिए **सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में माफी मांगने या स्पष्टीकरण देने** की मांग की गई थी।

राहुल गांधी का पक्ष

राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि नेता विपक्ष के रूप में उनका यह बयान **राजनीतिक और वैचारिक बहस का हिस्सा** था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं था।

हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि **विवादित बयान का न्यायिक परीक्षण संबंधित क्षेत्राधिकार वाले कोर्ट में ही होना चाहिए**। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना आवश्यक है और मामले की सुनवाई उचित न्यायालय में ही हो सकती है।

वाराणसी कोर्ट में आगे की सुनवाई

अब इस मामले की अगली सुनवाई वाराणसी कोर्ट में होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सुनवाई में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा:

1. बयान का **सामाजिक और धार्मिक प्रभाव**।
2. यह मामला **कानूनी रूप से कितनी गंभीरता का है**।
3. नेता विपक्ष के रूप में **राहुल गांधी की भूमिका और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से अहम है। यह न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक व्यक्तित्व पर असर डाल सकता है, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की संवेदनशीलता और न्यायिक प्रक्रिया की कार्यप्रणाली को भी दर्शाता है।

राजनीति और न्यायपालिका का संतुलन

इस मामले में न्यायपालिका ने साफ संदेश दिया है कि **राजनीतिक पद और पदनाम किसी को कानून से ऊपर नहीं उठाते**। वहीं, राजनीति में बयानबाजी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी कोर्ट ने ध्यान में रखा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला लोकतंत्र में राजनीतिक नेताओं की अभिव्यक्ति की सीमा और उनके कानूनी दायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने का एक उदाहरण हो सकता है।

मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया

राहुल गांधी और उनके बयान को लेकर मीडिया और जनता में मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यह मामला राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ रहा है और इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। वहीं, कई लोग यह मानते हैं कि यह **न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और न्यायालय का निर्णय सभी के लिए मार्गदर्शक होगा**।

सोशल मीडिया पर भी यह मामला छाया हुआ है। लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं कि नेता विपक्ष का बयान लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की याचिका खारिज करना और मामला वाराणसी कोर्ट में भेजना भारतीय न्यायपालिका की **सही क्षेत्राधिकार और कानूनी प्रक्रिया** को दर्शाता है।

अब सभी की नजरें वाराणसी कोर्ट पर हैं, जहां मामले की सुनवाई होगी और अंतिम निर्णय सामने आएगा। यह मामला केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि **भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायिक प्रक्रिया और धार्मिक भावनाओं के संतुलन का प्रतीक भी बन गया है**।